

महंगाई राहत कैंप के पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

23 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने नवास पर महंगाई राहत कैंप के पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट का लोकार्पण किया। उन्होंने महंगाई राहत कैंप की दशानरिदेश पुस्तिका का वमिचन भी किया।

प्रमुख बडि

- मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट के माध्यम से आमजन का राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा उन्हें योजनाओं के लाभ एवं उद्देश्य के बारे में जागरूक किया जा सकेगा।
- मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि महंगाई राहत कैंप से सभी जरूरतमंद परिवारों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दलाई जाएगी। इसके लिये 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेशभर में महंगाई राहत कैंप आयोजित किये जाएंगे।
- कैंपों में 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मल्लेगा, जससे बढती महंगाई की मार से राहत मल्लेगी। मुख्यमंत्री 24 अप्रैल को सांगानेर की ग्राम पंचायत महापुरा में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ करेंगे।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आयुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट पर 10 योजनाओं की वसितृत जानकारी एवं पंजीकरण के लिये आवश्यक दस्तावेजों की सूची, कैंप में पंजीकरण कराने से संबंधित उपयोगी फोटो-वीडियो गैलरी तथा सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची उत्तर सहित उपलब्ध होगी।
- कैंप से संबंधित आने वाली समस्याओं के समाधान के लिये प्रत्येक ज़िले हेतु जारी हेलपलाइन नंबर भी वेबसाइट पर मल्ले सकेंगे।
- इन योजनाओं का मल्लेगा लाभ-
 - मुख्यमंत्री गैस सल्लेडर योजना के तहत 500 रुपए में सल्लेडर
 - मुख्यमंत्री नःशुल्क बज़िली योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनटि प्रतमिह नःशुल्क बज़िली
 - मुख्यमंत्री नःशुल्क कृषि बज़िली योजना में कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनटि प्रतमिह नःशुल्क बज़िली
 - मुख्यमंत्री नःशुल्क अन्नपूरणा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह नःशुल्क अन्नपूरणा फूड पैकेट
 - मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दविस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दनि का अतरिकित रोज़गार एवं कथौड़ी, सहरयिा तथा वशैष योग्यजन को 100 अतरिकित दविस का रोज़गार
 - इंदरिा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दनि कार्य के अवसर
 - सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतमिह तथा प्रतविर्ष 15 प्रतशित की वृद्धि
 - मुख्यमंत्री चरिजीवी स्वास्थय बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढाकर 25 लाख रुपए
 - मुख्यमंत्री चरिजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राश 5 लाख से बढाकर 10 लाख रुपए
 - मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिये प्रतपिशु 40 हज़ार रुपये का बीमा कवर



